



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 31.03.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 109/23 धारा 452/323/504/506
भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.03.2023 को थाना खेकडा पर वादी अनुज कौशिक पुत्र श्री उमाशंकर कौशिक निवासी कृष्णानगर कस्बा व थाना खेकडा ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.जयप्रकाश पुत्र दलेल सिंह, 2.कपिल पुत्र जय प्रकाश निवासीगण कृष्णानगर पट्टी चक्रसैनपुर थाना खेकडा



जनपद बागपत द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के साध गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 109/23 धारा 452/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गाय ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 109/23 धारा 452/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-जयप्रकाशपुत्र दलेलसिंह निवासी कृष्णानगर पट्टी चक्रसैनपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-कपिल पुत्र जयप्रकाश निवासी कृष्णानगर पट्टी चक्रसैनपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 मौ0 आसिफ ।
- 2-है0का0 226 धर्मेन्द्र ।
- 3-का0 447 पंकज कुमार ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 31.03.2023

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 77/23 धारा 323/504/506 भादवि में वांछित तथा सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो वायरल करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा व एक अवैध पिस्टल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.03.2023 को थाना रमाला पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त पिन्टु पुत्र ऋषिपाल व एक महिला ने उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 77/23 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में नामजद अभियुक्त का सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ एक फोटो वायरल हुआ था, जिसका थाना रमाला पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया व अभियुक्त को चिन्हित किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 77/23 धारा 323/504/506 भादवि में वांछित तथा सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो वायरल करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक अवैध तमन्चा व एक अवैध पिस्टल बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना रमाला पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अनुरोध- बागपत पुलिस द्वारा अनुरोध किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे एवं लाईसेंसी हथियारो का प्रदर्शन ना किया जाये, यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता -

पिन्टु पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी की विवरण—

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर।
- एक अवैध पिस्टल 0.3 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 विनय कुमार थाना रमाला।
- 2-का0 566 इन्द्राज सिंह थाना रमाला।
- 3-का0 557 राहुल सिंह थाना रमाला।
- 4- का0 23 अजयपाल सिंह थाना रमाला।